बलदेव उर्फ गुरूदेव सिंह सिंह बनाम सुरेन्द्र सिंह

अपील संख्या : 18/06

31.01.2020	पत्रावली पेश हुई । विद्वान् अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित । प्रार्थी रेस्पोडेन्ट क्रम 02 ने न्यायालय हाजा में एक प्रार्थना पत्र वास्ते रेसजूडीकेटा के आधार पर अपील निरस्त करने हेतु पेश कर कथन किया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी बलदेव सिंह वगै0 ने धारा 53 एवं 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया था जिसका नम्बर 417/08 था तथ एक अन्य वाद इसी भूमि के सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट क्रम 2 लगायत 04 ने धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया था जिसका नम्बर 16/12 था । दोनों वाद समेकित करके अधीनस्थ न्यायालय ने एक निर्णय पारित करते हुए वाद संख्या 417/08 को खारिज किया था और वाद संख्या 16/12 को डिक्री किया था । वादी अपीलान्ट ने वाद संख्या 417/08 की तो अपील पेश की है परन्तु वाद संख्या 16/12 की अपील पेश नहीं की है जिससे वाद संख्या 16/12 का निर्णय अंतिम हो चुका है और प्रस्तुत अपील में रेसजूडीकेटा का असर रखता है । इस कारण अपील खारिज होने योग्य है । प्रार्थी रेस्पोडेन्ट क्रम 02 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अप्रार्थी अपीलान्ट के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया और यह कथन किया कि अपीलान्ट का दावा पूर्ववर्ती वाद थ जिसको निरस्त किया गया है जिसके खिलाफ अपील पेश की गई है अपीलान्ट अपने विरूद्ध हुए निर्णय और डिक्री से प्रभावित है इसलिए अपील विधि सम्मत रूप से पेश की गई है । पूर्ववर्ती वाद के निर्णय में सभी पक्षकारों के हित निर्धारित होंगे । इस कारण अपीलान्ट ने अपने विरूद्ध हुए निर्णय की सही अपील पेश की है अपील मेन्टेनेबल है जिसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जावे । प्रार्थना पत्र पर बहस उभयपक्षीय सुनी गई । प्रार्थी रेस्पोडेन्ट क्रम 02 के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दोनों दावे पेश किये गये थे वादी अपीलान्ट का दावा संख्या 417/08 और रेस्पोडेन्ट का दावा संख्या 16/12 था । दोनों दावों को समेकित किया गया था और अपीलाधीन निर्णय से वादी का दावा खारिज किया गया और रेस्पोडेन्ट का दावा डिक्री किया गया था । अपीलान्ट ने एक ही अपील पेश की है जिससे वाद संख्या 16/12 में पारित निर्णय अंतिम हो चुका है जो रेसजूडीकेटा का असर रखता है इस कारण अपील अपीलान्ट निरस्तनीय है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में सीजेसी (राज0) 2017 (2) पेज 681 उद्धरत की । अप्रार्थी अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट का दावा पूर्ववर्ती था अपीलान्ट ने पूर्ववर्ती दावे में पारित निर्णय और डिक्री की अपील पेश की है निर्णय एवं डिक्री से समस्त पक्षकारान

प्रभावित हैं जब दोनों दावों का निर्णय एक साथ पारित किया गया है तो रेसजूडीकेटा का असर नहीं रखता है । अतः प्रार्थी रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे ।

हमने प्रार्थना पत्र का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में दो दावे पेश किये गये थे एक दावा वादीगण अपीलान्ट के द्वारा पेश किया गया था जो हक घोषणा एवं विभाजन का था जिसका नम्बर 417/08 था । एक अन्य दावा संख्या 16/12 प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 04 के द्वारा पेश किया गया था और इस दावे की आदेशिका दिनांक 30.08.2012 के अनुसार वकील पक्षकारान के आग्रह पर वाद संख्या 16/12 को पुराने वाद संख्या 417/08 के साथ संलग्न किया गया । इसके उपरान्त अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलान्ट का वाद संख्या 417/08 खारिज किया है और प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 04 के द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 16/12 डिक्री किया है । अपीलान्ट ने इस निर्णय के खिलाफ एक ही अपील पेश की है जबकि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दो दावों को समेकित करते हुए निर्णय पारित किया गया है । ऐसी स्थिति में अपीलान्ट को दोनों दावों के लिए पृथक–पृथक से अपील प्रस्तुत की जानी चाहिए थी । विद्वान् अभिभाषक प्रार्थी रेस्पोडेन्ट द्वारा उद्धरत नजीर सीजेसी (राज0) 2017 (2) पेज 681 यहॉ चस्पा होती है जिसमें होल्ड किया गया है कि जहॉ दो संयोजित वाद एक साथ विचारित किये जाते हैं तथा एक वाद में दर्ज किये गये निष्कर्ष अपील के अभाव में अंतिम हो जाते हैं तो अन्य वाद में दर्ज किये गये निष्कर्षों के विरूद्ध दायर की गई अपील निश्चित रूप से प्राक्न्याय (रेसजूडीकेटा) के सिद्धान्त से वर्जित होगी ।

इन तथ्यों के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय की इस नजीर की रोशनी में अपील अपीलान्ट रेसजूडीकेटा के सिद्धान्त से बाधित होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

31.1.2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा